राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र जगमाल 2. किशनाराम पुत्र जगमाल जाति विश्नोई निवासी गुल्ले की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. हड्डुमानराम पुत्र जगमाल जाति विश्नोई निवासी गुल्ले की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. किशनी पत्नी लाखाराम जाति विश्नोई निवासी सदराम की बेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 3. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 281 /2025

17/07/25 प्रार्थीगण गंगाराम पुत्र जगमाल जाति विश्नोई निवासी गुल्ले की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से अधिवक्ता **श्री शाकर खान एच** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा थोरियों की बस्ती पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान भू.अ.नि. सोनड़ी के नया खाता संख्या 8 के खसरा संख्या 832/548 रकबा 0–7203 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 836/548 रकबा 0–6070 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा थोरियों की बस्ती पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान भू.अ.नि. सोनड़ी के नया खाता संख्या 8 के खसरा संख्या 832/548 रकबा 0–7203 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 836/548 रकबा 0–6070 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 11/11/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

11/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनु० चुंकि मूलवाद को अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है इसलिये इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो मूलवाद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:52 IST
Reason: SelfAttested